सकते हैं। महिलाओं के साथ बैठक, स्कूलों में गुरुजन तथा छात्रों के संग मिलकर रैली, अभियान, प्रतियोगिता में सहयोग देकर आप एक जागरूक ग्रामवासी का फ़र्ज़ निभा सकते हैं।

**पानी की कमी के भुक्तभोगी :** औरतें, स्कूल जाने वाली लड़कियाँ, किसान, ग़रीब मज़दूर।

## गांव का क्या फ़ायदा होगा

- पानी बचाने से पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा जिससे गांव की माता-बहनों को पानी खींचने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अधिक दूरी से पानी सिर पर रखकर लाने से मुक्ति मिलेगी।
- लड़कियों की पढ़ाई का हर्जा भी नहीं होगा। मज़दूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा तथा किसान की खेती लहलहाएगी।
- गर्मी का मौसम आराम से गुज़रेगा।
- सभी किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा।

# जल है तो कल है

- गांव में सम्पन्नता आयेगी, खुशहाली आयेगी।
- पानी की आसानी से उपलब्धता होने से आपसी मनमुटाव व झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, आपसी सद्भाव बढ़ेगा।

## क्या नया करें

- पानी बचाने हेतु दिनचर्या में व्यवहार परिवर्तन करना होगा।
- पानी का दुरुपयोग नहीं करें।
- पंचायत के सरपंच / सचिव के सहयोग से खेतों में सिंचाई हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक का उपयोग करें।
- पानी बचाने के लिए सभी लोग मिलकर मेड़ बंधान, बोरी बंधान, बांध, नदी-तालाब व अन्य पानी को बचाने के स्रोतों के रखरखाव एवं निर्माण में सहयोग करें।
- अधिक पानी खपत वाली फसलों के स्थान पर पानी की कम खपत वाली फसलों को लगायें।

## हमारी मदद कौन करेगा

- अटल भूजल योजना के ग्रामवासी, विकासखण्ड एवं ज़िला समन्वयक-जनअभियान परिषद् से सहायता लें।
- ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी आप सहयोग ले सकते हैं।

**कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर**
अटल भूजन योजना (SPMU)
कोलार रेस्ट हाउस के पीछे, लिंक रोड नं. 3
भोपाल (म.प्र.) 462016
दूरभाष क्रमांक : 0755-2424207
ईमेल आईडी : pdspmu.abhy.bpl@mp.gov.in
**टोल फ्री नंबर : 1800110121**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# अटल भूजल योजना

## आओ मिलकर पानी बचायें

## अटल भूजल योजना- एक परिचय

यह योजना दिसम्बर 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी। योजना विश्व बैंक तथा भारत सरकार का साझा प्रयास है। देश के 7 राज्यों के चुने हुए क्षेत्र जहाँ भूजल स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है, वहां ये योजना लागू की जा रही है। यह मार्च 2025 तक जारी रहेगी।

हमारे मध्यप्रदेश के 6 ज़िले के नौ ब्लॉक की 672 ग्राम पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत चुना गया है।

| ज़िला | ब्लॉक | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|
| सागर | सागर | 81 |
| दमोह | पथरिया | 62 |
| टीकमगढ़ | पलेरा | 71 |
| | बल्देवगढ़ | 80 |
| निवाड़ी | निवाड़ी | 71 |
| छतरपुर | नया गांव | 75 |
| | छतरपुर | 81 |
| | राजनगर | 86 |
| पन्ना | अजयगढ़ | 65 |

योजना की कामयाबी पाँच संकेतकों पर परखी जाएगी जिनको डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडीकेटर्स (डी.एल.आई.) कहते हैं।

**डी.एल.आई.#1** भूजल डेटा/सूचना और रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण

**डी.एल.आई.#2** समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी

**डी.एल.आई.#3** चल रही/नई योजनाओं के तालमेल के माध्यम से अनुमोदित जल सुरक्षा योजनाओं का सार्वजनिक वित्तपोषण

**डी.एल.आई.#4** कुशल जल उपयोग के लिए अच्छी आदतों को अपनाना

**डी.एल.आई.#5** भूजल स्तर में गिरावट की दर में सुधार

अच्छे संकेतकों के आधार पर अधिक राशि का राज्यों को आवंटन होगा। यह राशि ग्रामस्तर पर निर्माण कार्यों तथा किसानों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। इन कार्यों को विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित कर पूर्ण किया जाएगा।

## ग्रामवासी क्या कर सकते हैं

यह ग्राम पंचायत केंद्रित योजना है जिसके कामयाब होने में ग्रामवासियों की भूमिका अहम है। आपकी ग्राम पंचायत में भूजल स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है। इसको रोकने के उपाय करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। पानी की ज़रूरत तथा पानी की आपूर्ति में तालमेल से गिरते भूजल को बचाया जा सकता है। इस योजना का मुख्य घटक **वॉटर सिक्योरिटी प्लान (जल सुरक्षा योजना)** है। जिसको ग्राम स्तर पर समुदाय की भागीदारी से बनाया जाना है। इसका अनुमोदन ग्राम सभा/पंचायत द्वारा किया जाएगा।

## आज की हालत

## आदर्श स्थिति

जल सुरक्षा योजना के तहत आप अपने गांव के पानी का हिसाब-किताब ख़ुद रख सकते हैं। आपके गाँव की जल सुरक्षा योजना ग्राम सभा स्तर पर हर साल बनाई जाएगी। जन भागीदारी अटल भूजल योजना का मूल तत्व है।

## जन-भागीदारी कैसे करें

**ग्राम सभा :** ग्राम सभा की मीटिंग साल में कम से कम दो बार होती है। ग्राम पंचायत का पानी बजट तथा प्लान को ग्राम सभा ही पास करती है। यदि आप किसान हैं तो कृषि से सम्बंधित अपने सुझाव ज़रूर देवें, हमारी माता-बहनें भी अपना पानी ढोने का दर्द तथा समस्यायें ग्राम सभा के सामने रख सकती हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियों की पढ़ाई पानी की समस्या के कारण छूट जाती है, गरीबों, दलितों, आदिवासियों का भी नुक़सान अधिक होता है। सब मिलकर पानी से जुड़ी समस्यायें ग्राम सभा के सामने साझा कर सकते हैं।

**जल समिति :** हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति मौजूद है। इसको पानी अथवा स्वच्छता समिति भी कह सकते हैं। इस समिति के सदस्य गांव के जाने-पहचाने चेहरे होते हैं। आप उनसे संपर्क में रहकर अपने सुझाव समय-समय पर दे सकते हैं। अटल भूजल योजना अंतर्गत जल सुरक्षा प्लान को मूर्त रूप देना समिति की अहम ज़िम्मेदारी है। आप जितने जागरुक रहेंगे उतना ही आपके गांव की तरक़्क़ी होगी।

**ग्राम कार्यकर्ता :** हर पंचायत में एक कार्यकर्ता अटल भूजल योजना के लिए नामित किया गया है। उससे समन्वय बनाकर भी आप इस मुहिम का हिस्सा बन